दिनांक 26.06.2025 को उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा आई0सी0डी0एस, सभागार नन्दा की चौकी में बच्चों में नशे एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम विषय पर समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा डॉ गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में आई0सी0डी0एस, सभागार, नन्दा की चौकी, देहरादून में बच्चों में नशे एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम विषय पर समीक्षा बैठक आहूत की गई। जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

बैठक की उपस्थितिः–

1. डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार सरंक्षण आयोग।
2. डा0 शिव कुमार बरनवाल, सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
3. डा0 एस0डी0 बर्मन, संयुक्त निदेशक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण।
4. श्री हेमलता पाण्डेय, अपर निदेशक, समाज कल्याण, देहरादून।
5. डा0 सुधीर कुमार, ए0डी0सी0, एफ0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
6. श्री अंजना गुप्ता, सी0पी0ओ0, महिला कल्याण विभाग, देहरादून।
7. डा0 दिनेश चौहान, ए0सी0एम0ओ0, स्वास्थ्य विभाग।
8. श्री के0पी0 सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, देहरादून।
9. श्रीमती प्रज्ञा पंत, ट्रांसपोर्ट टैक्स आफिसर, देहरादून।
10. श्री उदय प्रताप सिंह, नोडल अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग, देहरादून।
11. श्री विरेन्द्र सिंह, सुपरीटेंडेंट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, देहरादून।
12. श्री आकाश दीप, सुपरीटेंडेंट, समाज कल्याण विभाग, देहरादून।
13. डा0 उषा, मनौचिकित्सक, स्वास्थ्य विभाग।
14. श्रीमती मीना बिष्ट, डी0पी0ओ0, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून।
15. श्री प्रीति उपाध्याय, प्रोग्राम मैनेजर, महिला कल्याण विभाग, देहरादून।
16. डा0 अकांक्षा, नोडल अधिकारी, एन0एच0एम0, देहरादून।
17. श्रीमती प्रतिभा, ए0पी0एम0सी0, एन0एच0एम0, देहरादून।
18. श्रीमती नमिता मंमगाई, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, देहरादून।
19. श्री नवीन बाहोलिया, सदस्य, बाल कल्याण समिति, देहरादून।
20. श्री कुंदन सिंह, बी0ई0ओ0 सहसपुर, शिक्षा विभाग, देहरादून।
21. श्री विकास धसमाना, निदेशक, आर्शीवाद वेलनेस सेंटर।
22. श्री उदय प्रताप, निदेशक, नवीन किरण रिहेब।
23. श्री सत्या, लेखक, आंध्र प्रदेश।
24. श्री हर गिरी, एस0डी0एम0 सदर, देहरादून।
25. श्री मनीष के0 महेन्द्रु, रिहेब सेंटर।
26. श्री शिखर, अधिवक्ता, रिहेब।
27. श्री सचिन रावत, रिहेब।
28. श्री श्रेष्ठ पुण्डीर, रिहेब।
29. श्री आसिफ, रिहेब।
30. श्री प्रवीन ढौंडियाल, रिहेब।
31. श्री अंशुल ठाकुर, रिहेब।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरा, ड्रग कंटोलर, समाज कल्याण विभाग, सभी जिलों के अपर जिलाधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एन0एच0एम0 के प्रतिनिधि, जिले के सी0एम0ओ0, स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा बैठक में प्रत्यक्ष व आभासी रूप से प्रतिभाग किया गया। इस हेतु बैठक कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:–

1. **स्वास्थ्य विभाग:–**
डा0 एस0डी0बर्मन, संयुक्त निदेशक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा बच्चों में बढते नशे की प्रवृत्ति के उपचार के लिये किये जा रहें उपायों की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें उनके द्वारा टेली–मानस टोल फ्री नम्बर– 14416 के बारे में अवगत कराया गया तथा कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के उपरान्त उत्तराखण्ड में ई–मानस के लांच किये जाने की बात कही। अवगत कराया गया कि मादक पदार्थो का सेवन करने वाले 13 प्रतिशत बच्चे एंव किशोर है, जिसमें से 20 वर्ष से कम आयु के मात्र 5 प्रतिशत लोग ही उपचार की तलाश करते है, जो कि संख्या में काफी कम है। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में नशा मुक्ति हेतु चाईल्ड साईकेटरिस्ट वार्ड, मानसिक अस्पताल, सेलाकुई में 10 बेड उपलब्ध है। मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा प्रत्येक जिला अस्पताल में 02 बेड बच्चों की नशा मुक्ति हेतु उपलब्ध कराये जाने तथा चाईल्ड साईकेटरिस्ट वार्ड, मानसिक अस्पताल, सेलाकुई देहरादून में 10 बेड की उपलब्धता पर राज्य के प्रत्येक जिले को यदि बच्चों हेतु बेड नही प्राप्त हो पाता है तो उक्त स्थान पर रेफर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
(स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को कार्यवाही हेतु प्रेषित)

2. **नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो:–**
नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह की नशीली दवाओं की तस्करी की गतिविधियों की रिपोर्ट करने, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में परामर्श और मार्गदर्शन के लिए 1933 नंबर पर मानस हेल्पलाइन का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, मिशन स्पंदन कार्यकम के अंतर्गत 5 अध्यात्मिक संस्थाओं के साथ जागरूकता हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है तथा वर्तमान में राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 172 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है साथ ही राज्य में नशा हेतु की गयी संयुक्त छापेमारी की स्थिति स्पष्ट की गयी। ड्रग लॉर्ड्स का पता लगाने के लिए तकनीकी एकीकरण के साथ सहयोगी एजेंसियों को प्रशिक्षित करके क्षमता निर्माण किया जा रहा है। चिकित्सा संघों को जागरूक करते हुये उन्हें अनैतिक गतिविधियों में लिप्त न होकर नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए संवेदनशील बनाने की कार्यवाही पर कार्य किया जा रहा है। राज्य स्तरीय एन0सी0ओ0आर0डी बैठकों में नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे को उजागर कर उन पर कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। दिनांक 12.06.2025 से 26.06.2025 तक नशा मुक्त पखवाडा चलाया गया, जिसमें उनके द्वारा टी0वी0, एफ0एम0 रेडियो व सोशल मीडिया के माध्यम से टॉक शो, सेलिब्रिटी और नेताओं द्वारा नशा विरोधी संदेश, प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मिशन नशा मुक्त कैम्पस सत्र आयोजित करना तथा साइकिल रैली आदि का आयोजन किया गया।
(नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित)

3. **खाद्य, सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन :–**
खाद्य, सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन के अतिरिक्त औषधि नियंत्रक ने अवगत कराया गया कि सभी जिलों में नशीली दवाओं की जांच के दौरान एसएचओ की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए ड्रग्स इंस्पेक्टरों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 53 (12 जून 2022) के तहत अधिकार दिया गया है। वर्ष 2025 में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज किये गये है। नशीली दवाओं के खतरे को नियंत्रित करने के लिए, एफडीए उत्तराखंड ने कैपिंग ऑर्डर के माध्यम से वितरण और बिक्री चैनलों के विभिन्न

स्तरों पर 13 दवाओं के भंडारण को एक ही बार किये जाने के लिये सीमित किया गया है, किन्तु इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिस पर वाद विचाराधीन है। मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस देने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चेकलिस्ट का हिस्सा बना दिया गया है और अधिकतम परिसर सीसीटीवी से लैस हैं और वर्तमान में विभाग द्वारा इसका सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल में 48 मेडिकल स्टोर क्रियाशील नहीं पाए गए हैं तथा गढ़वाल मंडल में 16 मेडिकल स्टोर क्रियाशील नहीं पाए गए हैं, जिनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। विभाग ने विनिर्माण इकाइयों को एनडीपीएस दवाओं से संबंधित विवरण मासिक आधार पर एसटीएफ उत्तराखंड को साझा करने के निर्देश दिए हैं। औषधि नियंत्रण विभाग एसटीएफ, एनसीबी, सीबीएन, एएनटीएफ और पुलिस जैसे अन्य विभागों के साथ मिलकर काम करता है। औषधि नियंत्रण विंग के सुदृढ़ीकरण के एक भाग के रूप में प्रभावी प्रवर्तन के लिए 18 नए औषधि निरीक्षकों की भर्ती की गई है।

(खाद्य, सुरक्षा एंव औषधि प्रशासन को कार्यवाही हेतु प्रेषित)

4. **शिक्षा विभाग :–**

बी0ई0ओ0 सहसपुर, शिक्षा विभाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के कई विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाये जा रहे है। इस पर मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी स्कूलों में नशा मुक्ति हेतु प्रहरी क्लब को कार्यान्वित किया जाए। कक्षा– 8 से कक्षा 11 तक के बच्चों का विभागों के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पृथक से क्लब न बनाया जाये अपितु क्लब के लिये चुने गये एक ही समूह को प्रशिक्षित किया जाये तथा पास आउट होने पर नवीन बच्चों को सम्मिलित करते रहे। क्लब के बच्चों का प्रशिक्षण स्कूल की काउंसलर के माध्यम से करवाया जाये यदि स्कूल में काउंसलर उपलब्ध न हो तो आर0के0एस0के0 के काउंसलर से सहायता प्राप्त की जाये।

(शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित)

5. **महिला कल्याण विभाग, व समाज कल्याण विभाग विभाग:–**

मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा विशेषतः नशे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, किन्तु सी0आई0सी0एल0 वाले बच्चों में यदि नशे से सम्बन्धित कोई सूचना प्राप्त होती है तो उनकी विभागीयस्तर से काउंसलिंग करवायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि विभाग अपने स्तर से नशा मुक्ति हेतु जागरूकता अभियान निरंतरता से संचालित करते रहे, जिससे बच्चों को नशे में लिप्त होने व बाल अपराधों से बचाया जा सके तथा साथ ही चाईल्ड हेल्पलाईन की केपेसिटी बिल्डिंग कराते हुये टोल फ्री नम्बरों की जागरूकता एंव प्रचार प्रसार भी कराये जाने हेतु कहा गया।

(महिला कल्याण विभाग, व समाज कल्याण विभाग विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित)

6. **आबकारी विभाग :–**

जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी विद्यालयों के पास से मदिरा की दुकानों को हटाये जाने की कार्यवाही पर गतिमान है। इस पर मा0 अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद के सभी विद्यालयों के पास किसी भी मदिरा की दुकानों को लाईसेंस प्रदान न किया जा तथा पूर्व में जिनके लाईसेंस प्रदान किये गये है उन्हें भी विद्यालयों के पास से हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाये।

(आबकारी विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित)

अध्यक्ष महोदया द्वारा उपस्थित विभागों द्वारा अपने स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुये निम्न मुख्य निर्देश दिये गये:-

1. सभी विभागों भविष्य में एकजुट होकर समन्वय स्थापित करते हुये ज्वाइंट एक्शन प्लान को और प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने पर कार्यवाही करेंगें।
2. बच्चो के हित में सभी टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर (चाईल्ड हेल्पलाईन- 1098, साईबर - 1930, टेली-मानस - 14416, मानस नारकोटिक - 1933) को सभी सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, संगठनों तथा जहां बडी संख्या में जनता एकत्रित होती हो वहां पर चस्पा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. विद्यालयों के पास से मदिरा की दुकानों को हटाये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जाये।
4. सभी स्कूलों में नशा मुक्ति हेतु प्रहरी क्लब को कार्यान्वित किया जाए।
5. स्कूलों में सभी सम्बन्धित सामाजिक मुद्दो पर छात्रों हेतु अनिवार्य रूप से जागरूकता सत्र चलाया जाना, शिक्षकों और सहकर्मी सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण सत्र चलाया जाना तथा विशेषतः नशे के विरूद्ध जागरूकता हेतु छात्र परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना करना।
6. फार्मेसियों और दवाईयों की ऑनलाइन बिक्री का सख्त रूप से निरीक्षण करना, दोहराए गए अपराधियों को काली सूची में डालना व संदिग्ध दवा बिक्री की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग करना।
7. उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रभावशाली लोगों और आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी के साथ घर- घर जाकर नशा मुक्ति हेतु अभियान चलाना।
8. नशे से प्रभावित युवाओं के लिए मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सहायता के साथ विशेष आश्रय प्रदान करते हुये उन्हें कौशल निर्माण और आजीविका कार्यक्रम से जोड़ना।
9. सभी विभाग आयोग को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगें।
10. नशे के विरूद्व अभियान में विशेष प्रशिक्षण विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

(डा0 गीता खन्ना)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग

पत्रांक संख्या- 579 **/एस0सी0पी0सी0आर0यू0के0-2025-26** **दिनांक-** 01/7/25

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिदेशक, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. आयुक्त, आबकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एंव बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. संयुक्त निदेशक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, देहरादून।

11. अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, देहरादून।
12. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
14. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
15. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
16. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
17. क्षेत्रीय निदेशक, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, देहरादून।
18. औषधि नियंत्रक, देहरादून।
19. सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून।
20. जिला प्रोबेशन अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।

(डा0 गीता खन्ना)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग